रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 325] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 1988/ज्यैष्ठ 20, 1910
No. 325] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 1988/JYAISTHA 20, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 10 जून, 1988

अधिसूचनाएं

सा.का.नि. 694 (अ):—केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और सभी अन्य समर्थनकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए (केन्द्रीय सरकार के) साधारण नियम और प्रारूप, 1956 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (केंद्रीय सरकार के) साधारण नियम और प्रारूप (संशोधन) नियम, 1988 है ।

(2) ये 15 जून, 1988 को प्रवृत्त होंगे ।

2. कंपनी (केन्द्रीय सरकार के) साधारण नियम और प्रारूप, 1956 में : —

(क) नियम 4ख के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"4 ग. धारा 43क — अधिनियम की धारा 43क उपधारा (1क) के प्रयोजनों के लिए औसत वार्षिक टर्नओवर पांच करोड़ रुपये से कम नहीं होगा ।

4घ. धारा 73.—धारा 73 की उपधारा (2) और (2क) के प्रयोजनों के लिए ब्याज की दरें इस प्रकार होंगी :—

(क) चार प्रतिशत, जहां प्रतिसंदाय में विलंब पंद्रह दिन से अधिक नहीं है ।

(ख) पांच प्रतिशत जहां विलंब पंद्रह दिन से अधिक है किन्तु तीस दिन से अधिक नहीं है ;

(ग) बारह प्रतिशत, जहां विलंब तीस दिन से अधिक है किन्तु साठ दिन से अधिक नहीं है ;

(घ) पंद्रह प्रतिशत, जहां विलंब साठ दिन से अधिक है ।" ;

(ख) नियम 10 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"10क. धारा 269—

(1) ऐसी प्रत्येक पब्लिक कंपनी और प्रत्येक प्राइवेट कंपनी, जो किसी पब्लिक कंपनी की समनुषंगी है, जिसकी समादत शेयर पूंजी एक करोड़ या अधिक है, प्रबंध या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक रखेगी ।

(2) धारा 269 की उपधारा (2) के अनुसरण में रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित विवरणी और अनुसूची 13 के पैरा 3 के अनुरक्षण में उक्त विवरणी में सम्मिलित किए जाने के अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रारूप 25 में में फाइल किया जाएगा ।

10ख. धारा 310—धारा 310 के पहले परन्तुक के प्रयोजनों के लिए निदेशक बोर्ड या उसकी किसी समिति के प्रत्येक अधिवेशन के लिए पारिश्रमिक की रकम नीचे विहित राशि से अधिक नहीं होगी ।

कंपनियां जिनकी समादत्त पूंजी	अधिकतम बैठक फीस
50 लाख रुपये तक है	250
50 लाख रुपये से अधिक और 5 करोड़ तक है	500
5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ तक है	750
10 करोड़ से अधिक है	1,000

10ग धारा 314-

(1) धारा 314 की उपधारा (1) के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए कुल मासिक पारिश्रमिक तीन हजार रुपये से कम नहीं होगा या उससे अधिक होगा ; और

(2) धारा 314 की उपधारा (1ख) के प्रयोजनों के लिए कुल मासिक पारिश्रमिक 6 हजार रुपये से कम नहीं होगा ।";

(ग) प्ररूप सं. 25ख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा :—

"प्ररूप सं. 25ग

कंपनी का नाम.........

अधिकृत पूंजी........

कंपनी अधिनियम, 1956

(प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंधक की नियुक्ति की विवरणी)

[धारा 269(2) और अनुसूची—13 के अनुसरण में]

1 प्रबंध या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक का नाम और पूरा पता ·

2 जन्म तिथि.......

3 पदनाम (उल्लेख करें कि प्रबंध निदेशक है या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक) ....

4 नियुक्ति की तारीख...........

5 पारिश्रमिक का, जिसके अंतर्गत सदस्य परिलब्धियां भी हैं, विवरण

6 नियुक्ति की अवधि

7 निदेशक बोर्ड और/या शेयरधारकों द्वारा साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प (उसकी प्रति संलग्न करें)

हस्ताक्षर...........

नाम...............

तारीख.. ....19 ..   पदनाम निदेशक"

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 269 के साथ पठित अनुसूची 13 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है ।

तथा प्रबंध निदेशक/सचिव/पूर्णकालिक व्यवसायरत

तारीख 19.. में सचिव के हस्ताक्षर

(नाम और पता)

[फाइल सं. 1/6/88-सी. एल. V]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 10th June, 1988

NOTIFICATIONS

G.S.R. 694(E).—In exercise of the powers con- by clause (a) and (b) of sub-section (1) of section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and all other powers hereunto enabling, the Central Government hereby makes the following amendments to the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Companies (Central Government's) General Rules and Forms (Amendment) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the 15th day of June, 1988.

2. In the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956,—

(a) after rule 4B, the following rules shall be inserted, namely,—

"4C. Section 43A.—The average annual turn-over, for the purposes of sub-section (1A) of section 43A of the Act, shall be not less than rupees five crores.

4D Section 73.—The rates of interest, for the purposes of sub-sections (2) and (2A) of section 73, shall be,—

(a) four per cent, where the delay in repayment is not more than fifteen days ;

(b) five per cent, where the delay is more than fifteen days but not more than thirty days ;

(c) twelve per cent, where the delay is more than thirty days but not more than sixty days,

(d) fifteen per cent, where the delay is more than sixty days." ;

(b) after rule 10, the following rules shall be inserted, namely :—

"10A. Section 269.—

(1) Every public company, and every private company, which is a subsidiary of a public company, having a paid-up share capital of rupees one crore or more shall have a managing or whole-time director or a manager.

(2) The return required to be filed with the Registrar, in pursuance of sub-section (2) of section 269 and the certificate required to be incorporated in the said return pursuant to paragraph 3 of Part III of Schedule XIII, shall be filed in Form 25C.

10B. Section 310.—For the purposes of the first proviso to section 310 the amount of remuneration by way of fee for each meeting of the Board of directors or a Com-

mittee thereof shall not exceed the sum prescribed below.—

Companies having Paid up share capital	Maximum Sitting Fee
	Rs.
Upto Rs. 50 lakhs	— 250
More than Rs. 50 lakhs and upto Rs. 5 crores	— 500
More than Rs. 5 crores and upto Rs. 10 crores.	— 750
Above Rs. 10 crores.	— 1000

10C. Section 314.—

(1) The total monthly remuneration, for the purposes of clause (b) of sub-section (1) of section 314, shall be not less than rupees three thousand or more ; and

(2) The total monthly remuneration, for the purposes of sub-section (1B) of section 314, shall be not less than rupees six thousand." ;

(c) after Form No. 25B, the folowing Form shall be inserted, namely :—

"FORM NO. 25C"

No. of Company.....

Nominal Capital.....

THE COMPANIES ACT, 1956

(Return of appointment of Managing Director|Whole-time Director|Manager)

(Pursuant to Section 269(2) and Schedule-XIII)

1. Name and full address of the Managing or Whole-time Director or Manager.
2. Date of birth.
3. Designation (mention whether Managing Director|Whole-time Director or Manager).
4. Date of appointment.
5. Details of remuneration including perquisites payable.
6. Tenure of appointment.
7. Date of resolution passed by Board of Directors and|or share-holders in general meeting (copy thereof be enclosed).

Signature

Name

Designation : Director"

Dated, this.....day of.....19 .

CERTIFICATE

Certified that the requirements of Schedule XIII read with Section 269 of the Companies Act, 1956 have been complied with.

Dated this ..... day of . 19 . . .

SIGNATURE OF AUDITOR|SECRETARY| SECRETARY IN WHOLE-TIME PRACTICE

(NAME AND ADDRESS)

[File No. 1|6|88-CL. V]

सा.का.नि. 695 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (क) के साथ पठित धारा 217 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (कर्मचारियों की विशिष्टियां) नियम, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करता है अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कर्मचारियों की विशिष्टियां) (संशोधन) नियम, 1988 है ।

(2) ये 15 जून, 1988 को प्रवृत्त होंगे ।

2 कंपनी (कर्मचारियों की विशिष्टियां) नियम, 1975 में,—

(i) नियम 1 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"1क. आवेदन : ये नियम ऐसे कर्मचारियों को लागू होंगे जिनका पारिश्रमिक—

(क) उपधारा (2क) के खंड (क) के उपखंड (i) के प्रयोजन के लिए, प्रति वित्त वर्ष बहत्तर हजार रुपये से कम नहीं है ; और

(ख) उपधारा (2क) के खंड (i) के उपखंड (ii) के प्रयोजनों के लिए प्रति मास 6 हजार रुपये से कम नहीं है ।";

(ii) नियम 2 में, खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ञ) अधिनियम की धारा 217 की उपधारा (2क) के खंड (क) के उपखंड (iii) के प्रयोजनों के लिए कंपनी में कर्मचारी द्वारा धारित साधारण शेयरों की प्रतिशतता ।"

[फाइल सं. 1/6/88 - कं वि. V]

वी० पी० गुप्ता, संयुक्त सचिव

G.S.R. 695(E).—In exercise of the powers confered by sub-section (2A) of section 217 read with clause (a) of sub-section (1) of section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Companies (Particulars of Employees) (Amendment) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the 15th day of June, 1988.

2. In the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975,—

(i) after rule 1, the following rule shall be inserted, namely,—

"1A. Application.—These rules shall apply to such employees whose remuneration is,—

(a) not less than rupees seventy-two thousand per financial year, for the purpose of sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (2A) ; and

(b) not less than rupees six thousand per month, for the purpose of sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (2A).";

(ii) in rule 2, after clause (i), the following clause shall be inserted, namely ;—

"(j) the ptrcentage of equity shares held by the employee in the company within the meaning of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (2A) of section 217 of the Act.".

[File No. 1|6|88-CL. V]

V. P. GUPTA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988